

**दिनांक 12.06.2025:—** वाद पुकारा गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह रावत (फौजदारी) राज्य की ओर से उपस्थित आये। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता/न्यायमित्र श्री शरत चन्द्र गुप्ता उपस्थित आये। अभियुक्त सुनील बिष्ट अनुपस्थित। आदेश दिनांक 05.06.2025 के अनुक्रम में थाने से आख्या प्राप्त नहीं। संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व न्यायालय आदेश दिनांक 05.06.2025 के अनुक्रम में की गई कार्यवाही के संबंध में आख्या प्रस्तुत करें।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 01.07.2025 को पेश हो।

रीना नेगी  
अपर सत्र न्यायाधीश,  
कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल।